

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प.12(9)गृह-1/2011-पार्ट

जयपुर, दिनांक 19.12.2016

आज्ञा

राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 62(1) व 66 के प्रावधानों के अनुसार जिला पाली हेतु **जिला स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति** का निम्नानुसार गठन किया जाता है:-

- | | | |
|----|--|------------|
| 1- | श्री सुरेन्द्र पारख, सीए,
जिला-पाली। | अध्यक्ष |
| 2- | डॉ० प्रीति चौधरी,
ग्लोबल डेन्टल क्लिनिक, पुराने बस स्टेण्ड के पास,
तखतगढ, जिला-पाली। | सदस्य |
| 3- | श्री लूणाराम रेगर,
रेगरों का मोहल्ला, रास, जिला-पाली। | सदस्य |
| 4- | श्री कमल जी श्रीमाली, अधिवक्ता,
बाली, जिला-पाली। | सदस्य |
| 5- | अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय),
पाली। | सदस्य-सचिव |

राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 68 के प्रावधानों के अनुसार अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 02 वर्ष का होगा।

समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को इस विभाग के आदेश क्रमांक प.18(2)गृह-1/2016 दिनांक 10.06.2016 द्वारा निर्धारित मानदेय एवं सुविधायें देय होगी।

आज्ञा से,


(सुरेन्द्र माहेश्वरी)

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
- 2- विशिष्ट सहायक, माननीय गृह मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 3- वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह/शासन सचिव, गृह।
- 5- महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
- 6- जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, पाली।
- 7- पुलिस अधीक्षक, पाली को प्रेषित कर लेख है कि उक्त समिति के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यगण को अपने स्तर से सूचित करावें।
- 8- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, शासन सचिवालय जयपुर।
- 9- सम्बन्धित।
- 10- रक्षित पत्रावली।


(कैलाश चन्द्र गुप्ता)

वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस